

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा संख्या
154/2017

रजू दिनांक
31.07.2017

निर्णय दिनांक
05.01.2018

उनवान

1 छोटेलाल उर्फ छुट्टनलाल पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी चांदपुर तह० मुण्डावर जिला अलवर

—: वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

—: प्रतिवादी

दावा:- इस्तरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
अर्न्तगत धारा 88, 89 राज० काश्त० अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :-


दिनांक :- 05.01.2018

वादी की ओर से एडवोकेट पृथ्वीसिंह यादव व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.01.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी ख०नं० 1167/0.43, 1159/0.63, 1168/0.20, 1185/0.65 वाके ग्राम राजवाड़ा व आ०ख०नं० 1958/0.22, 637/0.12, 687/0.23, 712/0.06, 725/0.09, 732/0.11, 1478/0.12, 1583/0.13, 1585/0.17, 1784/0.28, 1785/0.25, 1888/0.32, 528/0.09, 1479/0.52, 1237/0.71, 280/0.27, 680/0.13, 694/0.48, 679/0.18, 753/0.09, 1584/0.05, 453/0.52 तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित छुट्टनलाल पुत्र घीसाराम के बजाय छोटेलाल उर्फ छुट्टनलाल पुत्र घीसाराम दज्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (महेश चन्द्र मान)
मुण्डावर (अलवर) राजस्थान उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर